समक्षः समक्ष आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 व सहायक श्रमायुक्त, हापुड़

दिनांक: 7-3-19

पत्रांक: 2540-42

वाद संख्या F.C.N 6/19

श्री मती रंजी पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह व 3 अन्य समस्त नि० ग्राम ग्राम उन्देरा तहसील किरावली जिला आगरा - वादी

बनाम

~~1-~~ 1- मै० ओला क्लीर प्रा०लि० टलार न० 86 उद्योग बिहार फेज-1 गुडगाँवा हरियाणा

2- बजाज एलीआंज जन० का० लि० द्वारा लीगल प्रबन्धक का० ह्ज़रतगंज लखनऊ

चूँकि वादी ने आपके विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी / क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए वाद संस्थित किया है, वाद पत्र की प्रति संलग्न है।

अतएव आपको सतदद्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयं या ऐसे अधिवक्ता द्वारा जो सम्यक रूपेण अनुर्दिष्ट हों और वाद सम्बन्धी सभी सारवान प्रश्नों के उततर देने में समर्थ हो मेरे समक्ष दिनांक 15-3-19 को 2:00 बजे अपरान्ह दावे का उत्तर लिखित में देने के लिए उपस्थित हो तथा आप वह सभी सबूत गवाह आदि जो आपको इस वाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत करने हों, लेकर उपस्थित हों।

ध्यान रहे पूर्व वर्णित दिवस एवं समय पर आपकी उपस्थिति में कोई चूक होने पर वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा और अवधारित कर दिया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित आज दिनांक 1-3-19 का निकाला गया।

(रघुनाथ चन्द्र यादव)

आयुक्त

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923

एवं सहायक श्रमायुक्त

न्यायालय कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त हापुड़।

वाद ई0सी0ए0 सं0– सन 2019

1. श्रीमती रिंकी पत्नी स्व0 देवेन्द्र सिंह आयु करीब 27वर्ष (पत्नी मृतक)
2. दिव्यांशी चौधरी पुत्री स्व0 देवेन्द्र सिंह आयु करीब 2 वर्ष (पुत्री मृतक) ना0प्रा0स0द्वारा माता स्वयं
3. रामवीर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह आयु करीब 58 वर्ष (पिता मृतक)
3. श्रीमती देवी पत्नी श्री रामवीर सिंह आयु करीब 50 वर्ष (माता मृतक)

निवासीगण– ग्राम उन्देरा, तहसील किरावली, जिला– आगरा।

——प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. मैसर्स ओला फलीट टैक्नोलोजिस प्रा0लि0 प्लाट नं0–86, उद्योग विहार फेज–1 गुड़गांवा, हरियाणा। पिन– 122001 (स्वामी कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4208)
2. बजाज एलियांज ज0इं0कं0लि0 द्वारा लीगल प्रबन्धक कार्यालय हजरत गंज लखनऊ। (बीमा कम्पनी कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4208)

——विपक्षीगण

श्रीमान जी,

<u>प्रार्थीगण/वादीगण निम्नलिखित कथन करते हैं –</u>

1. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 का पति मृतक देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी– ग्राम उन्देरा, तहसील किरावली, जिला– आगरा विपक्षी सं0–1 के वाहन कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4208 पर चालक के रूप में कार्य करता था।
2. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 का पति मृतक मृतक देवेन्द्र सिंह दिनांक 11–12–2018 को शाम करीब 8 बजे वाहन कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4208 से बुकिंग लेकर कहीं जा रहा था तब वादनी सं0–1 ने फोन पर बात की तब देवेन्द्र ने बताया कि मैं दादरी में हूँ और 10–11 बजे तक घर वापिस आ जाऊंगा, इसके बाद प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के पति का फोन बन्द हो गया और रात्रि में उनके पति घर वापिस नहीं आये। वादनी सं0–1 द्वारा फोन पर ट्राई किया परन्तु फोन नहीं मिला। दिनांक 12–12–2018 को वादनी सं0–1 के पति देवेन्द्र का शव पिलखुवा क्षेत्र में गांव फगौता के बाहर सड़क के किनारे पड़ा मिला। प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के पति देवेन्द्र की हत्या अज्ञात बदमाशो द्वारा गाड़ी लूटने के मकसद से की गयी और शव को

3. यह कि उक्त घटना की रिपोर्ट मु0अ0सं0– 658/2018 में सरकार बनाम अज्ञात बदमाश अं0धारा– 302,201,394 आई0पी0सी0 में थाना– पिलखुवा पर योगेन्द्र सिंह के द्वारा दर्ज करायी गयी थी।

4. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के पति मृतक देवेन्द्र सिंह की आयु उक्त घटना के समय 28 वर्ष थी वह उक्त घटना के समय एक स्वस्थ व मेहनती युवक था।

5. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के पति मृतक देवेन्द्र सिंह को उसकी सेवा के बदले विपक्षी सं0–1 वेतन के रूप में अंकन 12,000/–रूपये प्रतिमाह देते थे।

6. यह कि मृतक देवेन्द्र सिंह की मृत्युपरान्त उक्त वाद में वादीगण ही वैध वारिस व आश्रित हैं।

7. यह कि विपक्षी सं0–1 को उक्त घटना की जानकारी घटना दिनांक से है तथा प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के द्वारा विपक्षी सं0–1 व 2 से मौखिक रूप से क्षतिपूर्ति की मांग की थी, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था।

8. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के द्वारा उक्त वाद में विपक्षी सं0–2 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वाहन कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4208 विपक्षी सं0–2 के यहां से बीमित था।

9. यह कि विपक्षी सं0–1 के वाहन कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4208 पर उक्त घटना के समय समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी थे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण/वादीगण को कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति धनराशि अंकन 8,00,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से घटना दिनांक से रूपया अदायगी की दिनांक तक दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रमाणीकरण –

हम प्रार्थीगण/वादीगण प्रमाणित करते हैं कि उक्त वाद पत्र
का समस्त कथन हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सत्य है
खुदा हमारा साक्षी है। प्रमाणित स्थान–हापुड़।

प्रार्थीगण/वादीगण

दिनांक –02–2019

द्वारा अधिवक्ता –

अमजद अली एडवोकेट
चै0नं0–216, सिविल कोर्ट हापुड़।
M - 9219228777